छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय डॉ.गोविन्द सिंह,सहकारिता, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन उपस्थित हैं । मैं अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया ।

माननीय अध्यक्ष ने तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा हेतु श्री अजय चन्द्राकर का नाम पुकारा।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि हमारा दलीय निर्णय है कि संबंधित मंत्री का पूरे सत्र तक के लिए बहिष्कार करना है । इसलिए वे मंत्री जी से कोई प्रश्न नहीं करना चाहते ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्न की सूचना देने के उपरान्त प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परम्परा नहीं

प्रश्न की सूचना देने के उपरान्त जब प्रश्न, प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित हो जाता है और सदन में संबंधित माननीय सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए पुकारा जाता है, उस समय

संबंधित माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परम्परा नहीं है । किसी भी माननीय सदस्य की किसी भी माननीय मंत्री से किसी विषय को लेकर असहमति हो सकती है, किन्तु अपनी असहमति को व्यक्त करने के लिये विधान सभा के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त करना मैं उचित नहीं मानता । माननीय सदस्यगण शासन से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देने की जवाबदेही विधान सभा में संबंधित विभाग के मंत्री की है, न कि किसी व्यक्ति की ।

अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे विधान सभा में प्रदत्त उनके उधिकारों का उपयोग करते हुये माननीय मंत्री से प्रश्न पूछकर उत्तर लें ताकि वे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकें ।

श्री अजय चन्द्राकर, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, श्री अजीत जोगी एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए सभी सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया ।

4. प्रश्नकाल (क्रमश:)

माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट होकर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 05 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 **पटल पर रखा ।**

7. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपका स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.23 बजे स्थगित की जाकर 12.36 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने जिला बलरामपुर के ग्राम टांगरमहरी में एक बालिका के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में राशन कार्डों की छपाई तथा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नारायण चंदेल

(2) श्री संतराम नेताम

(3) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(4) श्री अरूण वोरा

(5) श्री शैलेष पाण्डेय

10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक- 04)	श्री कुंवर सिंह निषाद	01 घंटा
(क्रमांक- 06)	श्री देवेन्द्र यादव	30 मिनट
(क्रमांक- 07)	श्री शिशुपाल शोरी	01 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री केशव प्रसाद चंद्रा

12. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

डॉ.रमन सिंह,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्रीमती ममता चन्द्राकर, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, देवव्रत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

रजनीश कुमार सिंह, डॉ.रेणु अजीत जोगी, श्री शैलेष पाण्डेय, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की)

13. बहिर्गमन

श्री अजय चन्द्राकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

14.सदन को सूचना

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्रात: 10.30 बजे छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय स्थित सेन्ट्रल हॉल में उनके तैल चित्र के समक्ष पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्रीगण एवं आप समस्त माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया, उक्त पुष्पांजलि कार्यक्रम में निर्धारित समय पर उपस्थित होवें ।

15. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुये ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सायं 05.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा